कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक : ८-१०२१ / जि0का0अधि0 / आं0बा0चयन / 2026–27 दिनांक : 03.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति

विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 24.06.2026 द्वारा दिये गये निर्देश एवं आंगनबाड़ी चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2026 में लिए गए निर्णयानुसार शासनादेश संख्या–1 / 1092245 / 2025 / 3313 / 58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के मानदेय आधारित सेवाओं के लिए निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभाग द्वारा विकसित पोर्टल **upanganwadibharti.in** पर पात्र आवेदिकाओं से ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 24.08.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे होगी।

क्रम सं0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण							
		आंगनबाड़ी कार्यकत्री				सहायिका			
		अनु0	अ0पि0वर्ग	अना0	योग	अनु0	अ0पि0वर्ग	अना0	योग
1	अकबरपुर	0	0	0	0	3	2	4	09
2	टाण्डा	0	0	0	0	8	2	7	20
3	बसखारी	0	0	0	0	2	2	2	06
4	भीटी	0	0	0	0	4	2	4	11
5	कटेहरी	0	0	0	0	3	3	9	11
6	जलालपुर	0	0	0	0	5	8	5	18
7	भियाँव	0	0	0	0	0	1	3	04
8	जहाँगीरगंज	0	0	0	0	2	1	4	07
9	रामनगर	0	0	0	0	0	1	3	04
10	शहर	1	1	0	2	2	6	7	15
योग :–		1	1	0	2	29	28	48	105

पात्रता एवं शर्तें :–

1. उपरोक्त पदों पर पात्र महिला अभ्यर्थी के ही आवेदन मान्य होंगे।
2. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, आयु की गणना हेतु कट ऑफ डेट **01.07.2026** होगी।
3. आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकतालिका में प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
4. आंगनबाड़ी चयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या–1 / 1092245 / 2025 / 3313 / 58–1–2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में निहित प्राविधानों की अधीन होगी। उक्त शासनादेश उ0प्र0 आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
5. आंगनबाड़ी कार्यकत्री / सहायिका के चयन हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
6. आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील से डिजिटल ऑन लाइन जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3559 / 1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से ऑन लाइन जारी आय प्रमाण पत्र (आवेदन करने से 03 वर्ष के अन्दर के) ही मान्य होंगे। गरीबी रेखा की आय सीमा को उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग के शासनादेश सं0 22 / 2015 / 2123 / 26.02.2015 (यथा संशोधित) 14.09.2025 के अनुसार होगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080 / – तथा शहरी क्षेत्र हेतु 56460 / – वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित है।
8. तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
9. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
10. शासनादेश के अनुसार चयन की कार्यवाही चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त होने पर नियमानुसार चयनित आवेदिका को नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
11. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के रूप में नहीं होगी।
12. **पात्र आवेदिकाओं में से चयन की कार्यवाही हेतु वरीयता का फ्लो चार्ट निम्नवत् होगा :–**

    गरीबी रेखा से नीचे (BPL) → विधवा→ विधिक तलाकशुदा / परित्यक्ता → अन्य बी0पी0एल0 महिला

    गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की कोई आवेदिका न मिलने पर

    गरीबी रेखा से ऊपर (APL)→ विधवा→ विधिक तलाकशुदा / परित्यक्ता → अन्य ए0पी0एल0 महिला
13. उपरोक्त में से कोई पात्र आवेदिका न मिलने पर न्याय पंचायत में से श्रेणीवार वरीयता क्रम में चयन किया जायेगा।
14. **मेरिट सूची** :– एक ही श्रेणी की एक से अधिक पात्र आवेदिका के उपलब्ध होने की दशा में सभी आवेदिकाओं की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें इण्टरमीडिएट से लेकर परास्नातक के प्राप्तांक की मेरिट तैयार की जाएगी तदुनसार मेरिट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदिका का चयन किया जायेगा।

मेरिट :–

इण्टरमीडिएट प्राप्तांक का प्रतिशत+स्नातक प्राप्तांक का प्रतिशत+परास्नातक प्राप्तांक का प्रतिशत/10

15. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे, पोर्टल पर भरे गए विवरण के ड्राफ्ट का मिलान करने के उपरान्त ही ऑन लाइन फार्म सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में कोई भी संशोधन सम्भव नहीं होगा।
16. कोई भी आवेदन पत्र/अभिलेख ऑफ लाइन मान्य नहीं होंगे।
17. आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।
18. यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाए जायेगें तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
19. रिक्त पदों का विवरण बाल विकास परियोजना कार्यालय, ब्लाक, तहसील, कलेक्ट्रेट, विकास भवन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
20. रिक्तियों की संख्या समिति के निर्णयानुसार घट–बढ़ सकती है जिसे पोर्टल पर देखा जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
(सदस्य सचिव–आं0बा0 चयन समिति)
अम्बेडकरनगर।

पृष्ठांकन संख्या : 6-1021 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0–लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
4– अध्यक्ष आं0बा0 चयन समिति, अम्बेडकरनगर।
5– सम्मानित सदस्यगण, आं0बा0 चयन समिति, अम्बेडकरनगर।
6– जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
7– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद की वेबसाइट पर उपरोक्त विज्ञापन अपलोड करने का कष्ट करें।
8– जिला संवाददाता, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं तरूण मित्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन न्यूनतम् शासकीय दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापन एवं सम्बन्धित परियोजना में रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण तहसील, ब्लाक एवं परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
10– कार्यालय प्रति।

3-8-26

जिला कार्यक्रम अधिकारी
(सदस्य सचिव–आं0बा0 चयन समिति)
अम्बेडकरनगर।

S.no.	Project Name	GP/Ward Name	Center Code	Center Name	Reservation
AWW Recruitment UP 31-07-2026					
1	Ambedkar Nagar City	AKBARPUR (MB) - WARD NO.21	09121020119	VISHVESHWAR ASHRAM II (Urban)	Scheduled Caste(SC)
2	Ambedkar Nagar City	AKBARPUR (MB) - WARD NO.20	09121020219	SHAHJADPUR PAKSHMI (Urban)	Other Backward Caste(OBC)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
अम्बेडकरनगर

संख्या-/2025/3313/58-1-2025(1917687)

प्रेषक,

सीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग   लखनऊ:दिनांक 17 सितम्बर 2025

विषयः समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण।

महोदय/महोदया

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतदद्वारा सम्यक विचारोपरान्त चयन प्रक्रिया निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

1.	शैक्षिक योग्यता	आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। (संलग्नक-1)
2	आयु सीमा	(I) आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। (II) आयु के संबध में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

		(III) 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। ऐसी सेवा समाप्ति/सेवानिवृति की तिथि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष (02 मई से 30 अप्रैल तक) में 30 अप्रैल रहेगी। यथा-यदि किसी कार्यकत्री सहायिका की आयु माह मई, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को हो जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकत्री सहायिका की आयु माह अप्रैल, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उसकी सेवा-समाप्ति/सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को हो जायेगी।
3	चयन हेतु पात्रता/अर्हता	(क) सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः- (I) सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो, का चयन किया जाएगा। (II) तत्पश्चात् रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों पर तैनात अर्ह आंगनवाड़ी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 07 में उल्लिखित है। (III) परियोजना स्तर पर 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर चयन किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा

परियोजना के रिक्त पदो को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के केन्द्रों की सूची सहित अर्ह आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा-नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का सम्पूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(IV) चयन के समय विगत 05 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 05 वर्ष में कार्य में लापरवाही, तीन माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो, तो चयन नहीं किया जायेगा।

(V) परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 50 प्रतिशत पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जायेगा।

सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित/विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।

(VI) जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार किसी पात्र/अर्ह का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा-01 जुलाई (यदि चयन की कार्यवाही/चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच की जा रही है)/01 जनवरी (यदि चयन की कार्यवाही चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01 जनवरी से 30 जून के बीच की जा रही है)।

(VII) जिला कार्यक्रम अधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा उपरोक्तानुसार पदों एवं रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

(VIII) इस प्रकार चयन का केन्द्रवार विस्तृत कार्यवृत्त चयन समिति द्वारा अनिवार्यतः जारी किया जायेगा और उसकी प्रति निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(IX) उपरोक्तानुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 50 प्रतिशत पद सहायिकाओं से भरे जायेंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा।

(X) चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली पर परियोजनावार विवरण के साथ यह अभिलिखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर पात्र/अर्ह आंगनवाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाए।

(ख) आंगनवाड़ी सहायिकाओं से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद पर चयन उपरान्त सहायिकाओं के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यतः एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। एक से अधिक केन्द्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।

(ग) सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता-

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(घ) उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही:-

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ङ) उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

		(च) (I) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। (II) तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे। III) आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26- 2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। (IV) निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
4	आवेदन पत्रों की प्राप्ति	चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः सम्पादित करायी जायेगी। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा एन0आई0सी0 से केन्द्रीकृत प्रारूपं विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। आवदेन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर

		ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
5.	चयन समिति का गठन	आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन/भर्ती हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष (2) जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य सचिव (3) जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य (4) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य (5) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह 'क' अथवा 'ख' की महिला अधिकारी - सदस्य (6) सम्बन्धित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य/प्रस्तुतकर्ता
6	कोरम	चयन समिति की बैठक में किन्हीं 04 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमे अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किन्तु उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, जो सदस्य अनुपस्थित होगा, उसका विवरण अंकित किया जायेगा।
7	मेरिट सूची तैयार किये	(I) एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट

	जाने की प्रक्रिया	बनायी जायेगी। आंगनवाडी कार्यकत्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। (II) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे 45/10=4.5 अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए है, तो उसे 59/10=5.9 अंक प्राप्त होंगे। (III) इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किये जायेंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के तीन अंकों तक गणना की जायेगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जायेगा। (IV) समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात् मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो, तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
8	आरक्षण	(I) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। (II) जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्रियो एवं सहायिकाओं के चयन के सम्बन्ध में पूर्व में कई बार चयन की कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है, उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हेतु अधिकतम दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करायी

		जायेगी और यदि आरक्षित वर्ग के सम्बन्धित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सम्बन्धित ग्राम सभा/न्याय पंचायत क्षेत्र से पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आंकलन कर लिया जाय और इस केन्द्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो, तो किसी अन्य रिक्त केन्द्र को आरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाये, जिसमें आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यदि परियोजना स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आंकलन कर लिया जाये और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाय। इन दोनों स्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
9.	पदों का निर्धारण	जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर रिक्तियां आंगणित कर नियमानुसार आरक्षण व पदों का निर्धारण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पोर्टल पर जनपद की लॉगिन आई.डी. के माध्यम से रिक्त पदों को विज्ञापित (अपलोड) किया जाएगा।
10.	अभिलेखों का सत्यापन /नियुक्ति पत्र	(I) एक परियोजना के चयनित समस्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन चयन समिति के एक सदस्य/जिला कार्यक्रम अधिकारी व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। (II) सब कुछ सही होने पर नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अनिवार्यतः आगामी 15 कार्यदिवस के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्र में कोई भिन्नता या

		संदेह की स्थिति पायी जाती है, तो वस्तुस्थिति से जिलाधिकारी को पत्रावली पर विवरण सहित अवगत कराया जाएगा और उसके प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराकर निर्णय लिया जाएगा। (III) चयनित अभ्यर्थी की सूची और कार्यवृत की प्रति अनिवार्यतः निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जाएगी।
11.	नियुक्ति	(I) चयन समिति द्वारा संस्तुत की गयी चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। (II) आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। (III) नियुक्ति/तैनाती आदेश में स्वीकृत केन्द्र के मूल स्थान/मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा अर्थात एक ग्राम सभा/वार्ड में कई केन्द्र सृजित हो, तो केन्द्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जायेगा। (IV) नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र का 11 डिजिट कोड (नम्बर) सहित केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद पर चयन किए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र का 11 डिजिट कोड (नम्बर) सहित चयन शब्द का भी उल्लेख किया जाएगा। (V) रिक्त आंगनवाडी केन्द्र पर चयनित अभ्यर्थी की सूची के साथ-साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान में आने वाली अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी के योगदान न करने पर वरीयता क्रमानुसार द्वितीय का चयन उक्त सूची के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। रिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयनित अभ्यर्थी दवारा योगदान करने के उपरान्त भविष्य में उक्त केन्द्र के रिक्त होने पर वरीयता सूची पर अंकित नाम मान्य नहीं होगा। वरीयता क्रम सूची नियुक्ति पत्र

		निर्गत तिथि से तीन माह (90 दिवस) तक ही मान्य होगी। तत्पश्चात उक्त पदों पर पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।
12.	समायोजन	(I) यदि कोई कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा। (II) जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है, उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन/अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। (III) यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे वर्तमान समय में यहां की निवासी हो तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। (IV) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

13.	सेवा समाप्ति	(I) यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका द्वारा ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष/ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद/पार्षद तथा महापौर आदि पर निर्वाचित हो जाती है, तो उसकी मानदेय आधारित संविदा सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिये जाने की बाध्यता/आवश्यकता नहीं होगी। (II) यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से सम्बन्धित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी से आख्या प्राप्त कर मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। (III) यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करती है, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है, केन्द्र का संचालन/अनुपूरक पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं करती है, तो उसे नोटिस देकर जिलाधिकारी स्तर पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर संविदा आधारित मानदेय सेवा समाप्त की जाएगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के बिन्दु-4, 5 व 6 में जिलाधिकारी के लिये किये गये उपबन्ध दिशा-निर्देश हैं। चयन प्रक्रिया का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में उक्त

कार्यवाही को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित करायेंगे।

यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

Digitally signed by
LEENA JOHRI
(लीना जौहरी)2025
17:28:18
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2025/3313(1)/58-1-2025(1917687) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, एन० आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।

5- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUDHA VERMA
Date: 17-09-2025
17:41:17
(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।

Sarkari Result

SARKARIRESULT.COM

WWW.SARKARIRESULT.COM

No. 1 Education Portal

Since 2012

Latest Jobs

Latest Result

Admit Card

Admissions

Syllabus

Answer Key

Our Tools Website : SarkariResult.Tools